



भारत सरकार  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE  
 CHANGE**  
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office,  
 Chandigarh



मिसिल संख्या -: 9-HRB015/2021-CHA

दिनांक: 05-04-2021

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),  
 हरियाणा सरकार,  
 हरियाणा सिविल सचिवालय,  
 चण्डीगढ़ - 160001  
 (email: fcforest @hry.nic.in)

**विषय:- Diversion of 6.9331 ha. (0.6306 ha. in Gurugram Division, 0.065 ha. in Jhajjar Division, 4.1671 ha. in Rewari Division and 2.0704 ha. in Mahendergarh Division) of forest land in favour of Senior Dy. G.M., Powergrid Khetri Transmission System Ltd., Rewari for construction work of 765 KV D/C Khetri-Jhatikra Line under Transmission System Associated with LTA Applications for Rajasthan Solar Energy Zone Part-C, under forest division and District Gurugram, Jhajjar, Rewari and Mahendergarh, Haryana (Online proposal FP/HR/Trans/43937/2020)**

संदर्भ 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-9647/408 दिनांक 03.02.2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक 22.02.2021 द्वारा सैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिस की अनुपालना नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-9647/1055 दिनांक 24.03.2021 द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतु 6.9331 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान करती है।

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार गुरुग्राम वन मण्डल में वृक्षों की संख्या 74 और पौधों की संख्या 25, रेवाडी वन मण्डल में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 747 और पौधों की संख्या 834, महेन्द्रगढ़ वन मण्डल में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 358 और पौधों की संख्या 316 और झज्जर वन मण्डल में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 60 और पौधों की संख्या 9 से अधिक नहीं होगी।
- iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार, Behrampur Section 4 & 5 of PLPA under Gurugram forest division में 13.736 हेक्टेयर वन क्षेत्र में और Chhochhi Minor Rd 0 to tail under Jhajjar forest division में 0.60 हेक्टेयर वन क्षेत्र में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 2,14,51,829/- रुपये (Rs. two crore fourteen lakh fifty one thousand eight hundred twenty nine only) की राशि से वन क्षेत्र में पौधें लगाकर किया जायेगा।
- iv. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Behrampur Section 4 & 5 of PLPA under Gurugram forest division में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 34,91,983/- रुपये (Rs. thirty four lakh ninety one thousand nine hundred eighty three only) की राशि से 2.35 ha में पौधें लगाकर किया जायेगा।
- v. प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- vi. वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।
- vii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।
- viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

- ix. जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |
- x. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए “रास्ते के अधिकार” की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 64 मीटर होगी |
- xi. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सट्टरिंग उपकरण लगाने के लिए 7.0 मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी | परन्तु सट्टरिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा |
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी |
- xiii. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 9.0 मीटर होना चाहिए | कंडक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा | बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा |
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी |
- xv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे |
- xvi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
- xvii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
- xviii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |
- xix. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |
- xx. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। **राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।**

भवदीय,

-sd-

(सी० डी० सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।(www.adgfc-mef@nic.in)
2. The Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF), Department of Forests, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (www.pccf-hry@nic.in)
3. The CCF-cum-Nodal Officer (FCA), Department of Forests, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.(www.cffcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA O/o PCCF (HoFF), Department of Forests, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.(haryanacampa@gmail.com)
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Gurugram, Jhajjar, Rewari and Mahendergarh (dfo.ggn-hry@nic.in, dfo.jjr-hry@nic.in,
6. The Senior Dy. G.M., Powergrid Khetri Transmission System Ltd., Rewari (xendadupur@yahoo.com)